



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 9 नवम्बर, 2001

कार्तिक 18, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2588/सत्रह-वि-1-1 (क)23/2001

लखनऊ, 9 नवम्बर, 2001

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 2 नवम्बर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—(1) यह अधिनियम राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा संक्षिप्त नाम, विस्तार जायगा। और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 30 अगस्त, 1974 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

अधिनियम संख्या 1
सन् 1890 की धारा
3 का संशोधन

2—राजस्व वसूली अधिनियम, 1890. जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायगी, अर्थात:—

“(3) उस भिन्न जिले का कलक्टर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर उसमें कथित रकम को वसूली के खर्च सहित वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानों वह ऐसी भू-राजस्व की बकाया हो जो उसके अपने जिले में प्रोदभूत हुई हो।

(3-क) उपधारा (3) के अधीन वसूली के खर्च ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे किन्तु ऐसे खर्चों की रकम प्रमाण-पत्र में कथित रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।”

धारा 4 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में—

(एक) शब्द “उसका संदाय” के स्थान पर शब्द “उक्त धारा की उपधारा (3-क) में निर्दिष्ट खर्च सहित उसका संदाय” रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द “ऐसी संदत्त रकम” के स्थान पर शब्द “प्रमाण-पत्र में कथित ऐसी संदत्त रकम” रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात:—

“(5) जहां उपधारा (2) के अधीन संस्थित किसी वाद को पूर्णतः या अंशतः डिक्री किया जाता है वहां न्यायालय यह भी निदेश देगा कि व्यतिक्रमी को, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदत्त आनुपातिक खर्च का, प्रतिसंदाय किया जायगा।”

धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात:—

“(3) कलक्टर, उपधारा (1) के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर उसमें कथित रकम को वसूली के खर्च सहित वसूल करने के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानों प्रमाण-पत्र में कथित रकम उसे देय हो और ऐसा खर्चा भी भू-राजस्व की बकाया हो।

(क) उपधारा (3) के अधीन वसूली के खर्च ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे किन्तु ऐसे खर्चों की रकम प्रमाण-पत्र में कथित रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।”

धारा 6 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (2) में शब्द “प्रमाण-पत्र में कथित रकम” के स्थान पर शब्द “प्रमाण-पत्र में कथित रकम वसूली के खर्च सहित” रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में शब्द “प्रमाण-पत्र में कथित रकम” के स्थान पर शब्द “प्रमाण-पत्र में कथित रकम या वसूली के खर्च” रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) में शब्द “प्रमाण-पत्र में कथित किसी रकम” के स्थान पर शब्द “प्रमाण-पत्र में कथित किसी रकम या वसूली के खर्च” रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का
संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात:—

“10—जहाँ कोई कलक्टर, किसी अन्य जिले के कलक्टर से या किसी अन्य लोक अधिकारी कतिपय दशाओं में से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से, इस अधिनियम के अधीन संग्रहित धनराशियों को प्रेषित करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है वहाँ उस प्रमाण-पत्र के आधार पर अपने द्वारा वसूल की गई राशि को, वसूली के खर्च के रूप में वसूल की गयी राशि की कटौती करने के पश्चात् उस कलक्टर या अन्य लोक अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी को प्रेषित कर देगा।”

7—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी, राज्य सरकार के विधिमाम्यकरण और किसी आदेश के अधीन किसी व्यक्ति/क्रमी से मूल अधिनियम की धारा 3 या धारा 5 में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र में कथित रकम से अधिक वसूल किये गये वसूली के खर्चे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन विधिमाम्य रूप से वसूल किये गये समझे जायेंगे और कोई भी व्यक्ति/क्रमी ऐसे खर्च की वापसी का हकदार न होगा और यदि ऐसे खर्चे इस प्रकार वसूल न किये गये हों तो वे इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन व्यक्ति/क्रमी से वसूलीय होंगे, मानों इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 में, अन्य बातों के साथ-साथ, भू-राजस्व के किसी बकाया या भू-राजस्व के किसी बकाया के तौर पर वसूली योग्य रकम की वसूली के लिए प्रक्रिया की भी व्यवस्था है। राज्य सरकार ने शासनादेश संख्या 285/11/69(दो-876)/राजस्व-7, दिनांक 26 अगस्त, 1974 द्वारा यह निदेश दे रखा है कि वसूली प्रमाण-पत्र में कथित धनराशि के अतिरिक्त, वसूली प्रमाण-पत्र में कथित धनराशि के दस प्रतिशत के बराबर संग्रह प्रभार की वसूली की जाय। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने रिट याचिका संख्या-29612/92, मेसर्स महालक्ष्मी सुगर मिल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में दिनांक 20 नवम्बर, 1998 के अपने आदेश द्वारा उक्त शासनादेश को मुख्यतः इस आधार पर अभिखण्डित कर दिया है कि उक्त अधिनियम और उत्तर प्रदेश राजस्व वसूली नियमावली, 1966 में वसूली प्रमाण-पत्र में कथित धनराशि के अतिरिक्त, संग्रह प्रभार की वसूली की व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-6192/99 दायर किया है। उच्चतम न्यायालय ने आवेदित अनुज्ञा को मंजूर करते समय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के प्रवर्तन पर रोक नहीं लगायी। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका को वापस ले लिया जाय और वसूली प्रमाण-पत्र में कथित धनराशि के दस प्रतिशत से अनधिक दर पर संग्रह प्रभार की वसूली की व्यवस्था करने और उक्त शासनादेश के अनुसरण में पहले से की गयी वसूली को विधिमाम्य करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तदनुसार राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया जाता है।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG—I

No. 2588(2)/XVII-V-1—1 (Ka) 23-2001
Dated Lucknow, November 09, 2001

NOTIFICATION MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Rajaswa Vasuli (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 37 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on November 02, 2001:—

THE REVENUE RECOVERY (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2001

(U. P. ACT NO. 37 OF 2001)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Revenue Recovery Act, 1890 in its application to Uttar Pradesh.

It IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Revenue Recovery (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2001. Short title, extent and commencement
- (2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of
section 3 of Act
no. 1 of 1890

(3) shall be deemed to have come into force on August 30, 1974.

2. In section 3 of Revenue Recovery Act, 1890, hereinafter referred to as the principal Act, for sub-section (3) the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(a) The Collector of the other district shall, on receiving the certificate, proceed to recover the amount stated therein, together with the costs of the recovery, as if it were an arrear of land revenue which had accrued in his own district.

(3-a) The costs of the recovery under sub-section (3) shall be such as may be specified by the State Government by notification but the amount of such costs shall not exceed ten per cent of the amount stated in the certificate.”

Amendment of
section 4

3. In section 4 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1)—

(I) for the words “pays the same” the words “pays the same together with the costs referred to in sub-section (3-a) of the said section” shall be substituted;

(II) for the words “repayment of the amount” the words “repayment of the amount stated in the certificate” shall be substituted;

(b) after sub-section (4) the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(5) where a suit instituted under sub-section (2) is decreed, wholly or partly, the court shall also direct that the defaulter shall be repaid the proportionate costs paid by him under sub-section (1).”

Amendment of
section 5

4. In section 5 of the principal Act, for sub-section (3) the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(3) The Collector shall, on receipt of the certificate under sub-section (1), proceed to recover the amount stated therein, together with the costs of the recovery as if the amount stated in the certificate were payable to himself and such costs were also an arrear of land revenue.

(3-a) The costs of the recovery under sub-section (3) shall be such as may be specified by the State Government by notification but the amount of such costs shall not exceed ten per cent of the amount stated in the certificate.”

Amendment of
section 6

5. In section 6 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2) for the words “in the certificate” the words “in the certificate together with the costs of the recovery” shall be substituted;

(b) in sub-section (3) for the words “in the certificate” the words “in the certificate or the costs of such recovery” shall be substituted;

(c) in sub-section (4) for the words “in a certificate” the words “in a certificate or the costs of such recovery” shall be substituted.

Amendment of
section 10

6. For section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“10. Where a Collector receives a certificate under this Act from the Collector Duty of Collectors of another district or from any other public officer or to remit moneys from any local authority he shall remit the sum collected in certain recovered by him by virtue of that certificate to the Collector or the other public officer or the local authority after deducting the sum recovered as costs of the recovery.”

7. Notwithstanding any judgement, decree or order of any court, the costs of a recovery recovered over and above the amount stated in the certificate referred to in section 3 or section 5 of the principal Act from a defaulter under an order of the State Government, shall be deemed to have been validly recovered under the principal Act as amended by this Act and no defaulter shall be entitled for refund of such costs, and if such costs have not been so recovered the same shall be recoverable from the defaulter under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of the principal Act as amended by this Act were in force at all material times.

Validation and
Consequential
provisions

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Revenue Recovery Act, 1890 *inter-alia*, provides for the procedure for recovery of an arrear of land revenue or a sum recoverable as an arrear of land-revenue. The State Government has, *vide* G. O. No. 285/11-69(II-876)-Revenue-7, dated August 26, 1974, directed for recovery of collection charge equal to ten per cent of the amount stated in the recovery certificate, in addition to the amount stated in the recovery certificate. The High Court of Judicature at Allahabad has, *vide* its order dated November 20, 1998 in Writ Petition no. 29612/92, *M/s. Mahalaxmi Sugar Mills Ltd. V/s State of U. P. and others*, quashed the said Government order mainly on the ground that the said Act as also the Uttar Pradesh Revenue Recovery Rules, 1966 do not provide for recovery of collection charge in addition to the amount stated in the recovery certificate. The State Government filed Special Leave Petition no. 6192/99 against the said order of the High Court. The Supreme Court while granting the Leave applied for, did not stay the operation of the said order of the High Court. It has, therefore, been decided to withdraw the said Special Leave Petition and to amend the said Act to provide for the recovery of collection charge also at the rate not exceeding ten per cent of the amount stated in the recovery certificate and to validate the recoveries already made in pursuance of the said Government Order.

The Revenue Recovery (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2001 is introduced accordingly.